न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
95/2024	20.08.2024	30.07.2025

मक्खन पुत्र स्व0 रतन्या निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी ––प्रार्थी

वनाम

1. काडू पुत्र जफरूदीन, मुसलमान निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. महमूद पुत्र कमाल, मुसलमान निवासी बाढकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
4. उपपंजीयक तहसील गंगापुर सिटी ––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री प्रेमप्रकाश जोशी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की पैतृक भूमि ग्राम बाढकलॉ मे स्थित है। जिसके एकीकरण मे साविक ख0न0 12, 29, 30 रहे है। इससे पूर्व सेटिलमेंट संवत 2003 मे ख0न0 15, 44, 45 रहे है। भूप्रवन्ध मे उक्त भूमि के ख0न0 29/2, 29/4, 17, 18, 30, 31 थे तथा हाल ख0न0 53, 54, 39, 40, 57, 41 वने है। एकीकरण मे उक्त भूमि प्रार्थी के वावा हठीला पुत्र गेन्दा की खातेदारी व कब्जे काश्त मे रही थी। प्रार्थी के वावा की मृत्यु करीव 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसके वाद प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काविज रहा है। अप्रार्थीगण का एवं अन्य किसी व्यक्ति का इस भूमि से कोई वास्त नही रहा है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का गरीव काश्तकार है। प्रार्थी के वावा एवं प्रार्थी के पिताजी की गरीव स्थिति व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर, राजस्व अधिकारियों से मिलकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पैतृक भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली लेकिन भूमि पर कब्जा निरंतर प्रार्थी के पिता एवं इसके वाद प्रार्थी का चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने सेटिलमेंट के दौरान भूप्रवन्ध अधिकारियो से मिलकर उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली है जो पूरी तरह अवैध व अनुचित है। भूप्रवन्ध कर्मचारियों की उक्त कार्यवाही पूर्णतया अवैध व नियमों के विपरित होने के कारण शून्य व प्रभावहीन है। अप्रार्थीगण भूमि से प्रार्थी को वेदखल करने एवं भूमि को भूखंडो मे वेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कुछ भूमि का अवैध रूप से वेचान भी कर दिया है जो प्रार्थी के खिलाफ वेअसर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वे भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे प्रार्थी को किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही करे एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4 को पावंद फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि का पंजीकरण प्रार्थी के अलावा किसी अन्य के पक्ष मे नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:37 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(राज0)

उप जिला कलेक्टर ... सिटी (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 40, 9, 26, 43 ग्राम बाढखुर्द, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकापी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकॉपी नकल रजिस्टर चकबंदी, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, फोटोकॉपी नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2003, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2008–11, संवत 2013–16, फोटोकॉपी मतदाता पहचान पत्र रतन्या प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकापी नकल जमाबंदी संवत 2072–75 के अनुसार ख0न0 57 की खातेदार मंगल पुत्र नोल्या बैरवा के नाम दर्ज है। ख0न0 39, 40, 41 की खातेदारी कमाल पुत्र अलाबक्स के नाम दर्ज है। ख0न0 53, 55 की खातेदारी जफरूद्दीन दत्तक पुत्र जुमाबक्स के नाम दर्ज है तथा ख0न0 54 की खातेदारी आशिक खान पुत्र काजू खान हिस्सा 1/2 व शराफत अली पुत्र जफरूद्दीन की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के किसी भी खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज नही है ना ही प्रार्थी के पिता रतन्या के नाम दर्ज है। जब प्रार्थी के नाम भूमि ही रिकॉर्ड मे दर्ज नही है तो वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)